To

(139)

संख्याः 2216 /एक-10-2022-33(11)/2021

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, बस्ती, बलरामपुर, बारावंकी, जालौन, संत कबीर नगर, गोण्डा, ललितपुर, रामपुर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, बदायूँ, एटा, पीलीभीत, अम्बेडकर नगर, बलिया, सम्भल, आगरा, फिरोजाबाद, सहारनपुर, चन्दौली एवं भदोही।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊ दिनांकः 16/12/2022

विषयः वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों द्वारा राहत की वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन कृषि निवेश अनुदान पोर्टल" पर फीड की गयी सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये **रू० 41,74,86,999 (रूपये इकतालिस करोड़ चौहत्तर लाख छियासी हजार नौ सौ निन्यानबे मात्र)** की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कॉलम-4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	कृषकों की संख्या	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	गोरखपुर	18293	72347323
2	श्रावस्ती	14112	66820399
3	बहराइच	20423	64867452
4	खीरी	11269	54380088
5	बस्ती	4644	33019170
6	बलरामपुर	12059	29111965
7	बाराबंकी	8430	27757158
8	जालौन	5857	20567614

9	संत कबीर नगर	2799	10864021
10	गोण्डा	1878	6474191
11	ललितपुर	2114	6453140
12	रामपुर	834	6249178
13	आजमगढ़	698	6181035
14	मऊ	514	2667316
15	वाराणसी	294	2123358
16	मिर्जापुर	367	2097463
17	बदायूँ	259	1056308
18	एटा	301	1052381
19	पीलीभीत	125	1046491
20	अम्बेडकर नगर	223	935089
21	बलिया	264	608239
22	सम्भल	69	300060
23	आगरा	9	198353
24	फिरोजाबाद	75	144414
25	सहारनपुर	13	65000
26	चन्दौली	36	58222
27	भदोही	19	41571
योग		**105978**	**41,74,86,999/-**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक-10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से कृषि निवेश अनुदान आनलाइन माड्यूल के तहत जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-I (Vol-II), दिनांक-10.10.2022

जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष-2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू० रू० 41,74,86,999 (रूपये इकतालिस करोड़ चौहत्तर लाख छियासी हजार नौ सौ निन्यानबे मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग
Date: 16-12-2022 18:25:23
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2216(1)/एक-10-2022-33(11)/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।

2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।

4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।

5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।

6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र० ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-16/12/2022

प्रेषण संख्या:- 2216
आवंटन आदेश संख्या:- 001-2216
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	65000 4182392	65000 4182392
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	198353 19340058	198353 19340058
3	एटा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1052381 4248623	1052381 4248623
4	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1056308 6869997	1056308 6869997
5	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1046491 30342625	1046491 30342625
6	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6249178 82593676	6249178 82593676
7	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	20567614 76089115	20567614 76089115
8	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2123358 70862296	2123358 70862296
9	मिर्ज़ापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2097463 88123180	2097463 88123180
10	बलिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	608239 61431827	608239 61431827
11	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	72347323 315797601	72347323 315797601
12	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	33019170 113302835	33019170 113302835
13	आजमगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6181035 28981035	6181035 28981035
14	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	54380088 396719766	54380088 396719766
15	गोण्डा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6474191 106798536	6474191 106798536
16	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	64867452 335582282	64867452 335582282

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
17	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	27757158 276558022	27757158 276558022
18	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6453140 182402783	6453140 182402783
19	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2667316 106153644	2667316 106153644
20	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	144414 3584413	144414 3584413
21	संत रविदास नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	41571 2441571	41571 2441571
22	अम्बेदकर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	935089 12502154	935089 12502154
23	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	58222 21679097	58222 21679097
24	बलरामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	29111965 558480477	29111965 558480477
25	संत कबीर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10864021 52374920	10864021 52374920
26	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	66820399 276497455	66820399 276497455
27	सम्बल-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	300060 2881364	300060 2881364
	योग	वर्तमान प्रगामी	417486999 3236821744	417486999 3236821744

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया इक्तालीस करोड़ चौहत्तर लाख छियासी हजार नौ सौ निन्यानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन अरब तेइस करोड़ अड़सठ लाख इक्कीस हजार सात सौ चौवालीस

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी